राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
वेबसाइट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141–2372237

:–एफ 19 / सा.प्र. / रा.आ. / दिनांकः

कार्यालय आदेश

दिनांक 10.01.2022 को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रातितोष आयोग, कार्यालय में अधिकारी / कर्मचारीगण की आर.टी.पी.सी.आर. जांच करवायी गई थी। जिसमें इस कार्यालय एवं जिला आयोग जयपुर चतुर्थ के अधिकारी / कर्मचारीगण कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक गृह–ग्रुप (7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7 (1)गृह–7 / 2021 जयपुर दिनांक 05.01.2022 के द्वारा महामारी सतर्क –सावधान जन–अनुशासन दिशा निर्देश जारी किए गए है।

अतः निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 11.01.2022 व 12.01.2022 को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रातितोष आयोग, कार्यालय को बन्द रखने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय के समस्त कर्मचारी घर से कार्य करेंगे तथा वे कर्मचारी जो घर से काम (Work from home) कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। दिनांक 11.01.2022 व 12.01.2022 के लिए राज्य आयोग, जयपुर में नियत प्रकरणों की सुनवाई आगामी दिनांक को निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.सं.	सुनवाई की तारीख	आगामी सुनवाई की तारीख		
		बैंच नं.1	बैंच नं.2	बैंच नं.3
1	11.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022
2	12.01.2022	01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022

Sd-
(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांकः–एफ 19 / सा.प्र. / रा.आ. / 15-20 दिनांकः 11.01.2022

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, उपभोक्ता संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. कम्प्यूटर शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार